

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail-jharkhand_ssc@rediffmail.com

झारखण्ड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा-2023

विज्ञापन संख्या-14/2023

आवश्यक सूचना-02

दिनांक-26.07.2024

झारखण्ड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए ऑनलाईन आवेदन दिनांक-25.10.2023 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किये गये थे। साथ ही समर्पित ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि दिनांक-31.10.2023 से दिनांक-02.11.2023 की मध्य रात्रि तक निर्धारित थी। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किये बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में सम्बन्धित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान आरक्षण की कोटि/निःशक्त कोटि में संशोधित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अंतर राशि प्राप्त करने की तथा अंतर राशि की भुगतान हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 04.07.2024 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित किया गया था जो अबतक अप्राप्त है।

उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतर राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया जाता है।

2. (क) आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) अथवा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 04.07.2024 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित था जो अबतक अप्राप्त है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कुल छः है जिनके आवेदन को रद्द किया जाता है, जिनकी पंजीयन संख्या निम्नलिखित है:-

109716576, 115232593, 126457676, 132062225, 143396957, 144571126. (कुल-06)

(ख) आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 04.07.2024 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित था जो अबतक अप्राप्त है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कुल दो है जिनके आवेदन को रद्द किया जाता है, जिनकी पंजीयन संख्या निम्नलिखित है:-

124367414, 126602132.(कुल-02)

ह०/-
परीक्षा नियंत्रक